न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— सोहन लाल, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या— 05/2020

प्रार्थी

नानकराम पुत्र गुलाराम
जाति जाट निवासी चान्देलाव
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भूराराम पुत्र गुलाराम
   जाति जाट निवासी चान्देलाव
   तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट अप्रार्थी संख्या—1 अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक** 22/3/2022

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा स्थित है, यह भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की है। सहखातेदार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने आपसी सहमति से अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर लिया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि प्रार्थी के बंट में आयी तथा खसरा नम्बर 303 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में आयी, जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1901 दर्ज किया गया। भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर पुरानी माठ कायम की हुयी है तथा प्रार्थी इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी के पूर्वी दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से दिनांक 22.12.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि खसरा नम्बर 303/1 में नाजायज तौर से प्रवेश कर तथा भूमि के अन्दर खड़ी चने की फसल को नष्ट कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी को इसकी खातेदारी भूमि में नाजायज तौर पर ऐसी हरकत करने से मना किया लेकिन अप्रार्थी नही माना तथा प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया। ऐसी नाजायज हरकत करने के कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 24.12.2019 को रिपोर्ट को पेश किया, जिस पर पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 107, 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही को दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया गया। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 की इन नाजायज हरकतों को रोकने के लिए प्रार्थी को यह दावा पेश करना पड़ रहा है। भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी प्रार्थी की खातेदारी एवं

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कब्जाकाश्तसुदा है, जिसमें अप्रार्थी को किसी प्रकार की दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थी ने नाजायज तौर से खेत के चारों ओर खड़ी पत्थरों की पट्टीया एवं तारबंदी को तोड़ दिया तथा खेत में खड़ी चने की फसल को नष्ट करने की नियत से प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों एवं उनकी खातेदारी भूमि के उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी। इस कारण प्रार्थी का अपने खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की रक्षा के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है अगर अप्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर दखल करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती एवं अप्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल करने से रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के हक में है, अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी (2.0791 हैक्टेयर) वाके ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे तथा विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि नही करे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली की ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है, जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी (2.0791 हैक्टेयर) उसकी खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिस पर दिनांक 22.12.2019 को अप्रार्थी संख्या–1 ने भूमि खसरा नम्बर 303/1 में नाजायज तौर से प्रवेश कर तथा भूमि के अन्दर खड़ी चने की फसल को नष्ट कर दिया, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी को नाजायज हरकत करने से मना किया, ऐसी नाजायज हरकत करने के कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 24.12.2019 को रिपोर्ट पेश किया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–50 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 447, 341, 323, 427 भा॰द॰स॰ के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज की गयी। इस कारण अप्राथी को प्रार्थी के खातेदारी भूमि में दखल को रोका जावे और इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या–1 का जवाब तारीख पेशी 19.07.2021 को बन्द किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थी के तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया, पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 303/1 का रेकर्डेड खातेदार है और प्रार्थी ने दिनांक 24.12.2019 को अपनी भूमि पर चने की फसल को अवेर कर रहा था एवं प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थी ने नाजायज रूप से प्रवेश कर प्रार्थी को धमकी दी गयी। एक खातेदार अपनी भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है, जो उसको विरासत में प्राप्त हुयी है जिस पर उसका हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अनुतोष के रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। अत प्रथम दृष्टया केस का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति** :– प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम कर दिया जायेगा। अतः उपरोक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी नानकराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी की, खातेदारी की ग्राम चांदेलाव, तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी (2.0791 हैक्टेयर) में प्रार्थी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे तथा विवादग्रस्त भूमि में किसी भी भाग पर काश्त आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 22/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा